2019/00086

तारीख
जो इस
ी तामील
ारी हुए

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 48 / 2019 (अपील)

उनवान

भंवरलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम धनवां
तहसील दीगोद जिला कोटा (अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक सुल्तानपुर वन मण्डल
कोटा (रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश प्रजापत (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 03.04.2012 मिसल नम्बर 110 / 2012
न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 26.12.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के
अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत
की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं
न्याय तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ
न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम धनवा तहसील दीगोद के ख0 नं0 61 रकबा 1.28 हैक्टर भूमि
अतिक्रमण करने पर निर्णय दिनांक 03.04.2012 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बगैर
4,000 / –रूपये शास्ती एवं एक माह का साधारण कारावास से दण्डित करने मे त्रुटि की है
जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि से कब्जा छोड दिया तथा तावान कि राशि जमा
करवा दी है इय हेतु कब्जा छोडने व तावान की राशि जमा कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया
है । साथ मे वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर
तथ्य अंकित किये है कि अपीलान्ट को दिनांक 19.12.2019 को पुलिस द्वारा गिरफतार करके
जेल भिजवा दिया है अपीलाधीन निर्णय कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 19.12.2019 को होने पर
दिनांक 20.12.2019 को नकल प्राप्त की गई इस प्रकार दिनांक 19.12.2019 से पूर्व की अवधि
जानकारी के अभाव डिले कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ
दिनांक 03.04..2012 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर
रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पो0 के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में
अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट
को ग्राम धनवा तहसील दीगोद के ख0 नं0 61 रकबा 1.28 हैक्टर भूमि अतिक्रमण करने पर
निर्णय दिनांक 03.04.2012 से पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बगैर 4,000 / –रूपये शास्ती

एवं एक माह का साधारण कारावास से दण्डित करने मे त्रुटि की है जो निरस्तनीय है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि से कब्जा छोड दिया तथा तावान कि राशि जमा करवा दी है इस हेतु कब्जा छोडने व तावान की राशि जमा कराने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है वर्तमान मे भी उसका कब्जा नही है । उक्त आराजी पर कब्जा नही करेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ दिनांक 03.04.2012 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. . रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि० एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि० एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी सुल्तानपुर की रिपोर्ट मे मिसल नं० 308/06 निर्णय दिनांक 17.04.2007 व मिसल नं० 160/2010 निर्णय दिनांक 06.05.2010 व मिसल नं० 369/10 निर्णय दिनांक 06.10.2010 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते है कि मौका पंचनामा नाका प्रभारी धनवां दिनांक 02.12.11 से वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट द्वारा फसल की गई थी । इससे यह साबित है कि उसका विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा था । जिससे सिद्व होता है कि अतिक्रमी का विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी होना सिद्व होता है ।

7. अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोडना अंकित किया है । अतः नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा तावान जमा कराने व कब्जा हटाने के संबंध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य मे पुनः अतिक्रमण नही करेगा के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे 15 दिवस मे शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है । अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा